COVID–19
शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 436/71–3–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/
आर0एम0आर0सी0, गोरखपुर/
आई0एम0एस0, बी0एच0यू0 वाराणसी

2. कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा

3. प्रधानाचार्य,
जे0एन0 मेडिकल कालेज ,
ए0एम0यू0 अलीगढ़।

4. प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज
मेरठ/झांसी/गोरखपुर/कानपुर/आगरा/प्रयागराज

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2020

विषय–नोवल कोरोना वायरस डिजीज–2019 (COVID–19) से संक्रमित मरीजों की सैम्पल जॉच हेतु आवश्यक उपकरणों एवं कन्ज्यूमेबल्स की उपलब्धता एवं बी0एस0एल0 प्रयोगशालाओं की कियाशीलता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि नोवल कोरोना वायरस डिजीज–2019 (COVID–19) से संक्रमित मरीजों के सैम्पल की युद्धस्तर पर जॉच आवश्यक है, जिसके लिए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कालेजों में नई बी0एस0एल0 प्रयोगशालाओं को कियाशील किया जा रहा है तथा पुरानी प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण किया जा रहा है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रत्येक चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कालेज द्वारा इस हेतु नेतृत्व प्रदान करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय:–

2.1. प्रदेश के समस्त कोविड–19 से सम्बन्धित टेस्टिंग लैबों से समन्वय स्थापित करने हेतु विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी प्रदेश के कोविड–19 के समस्त टेस्टिंग लैबों को अपना तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों के प्रमुख अथवा उनके नोडल अधिकारी लैब टेस्टिंग से सम्बन्धित समस्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ को प्रतिदिन दो बार प्रातः 6:00 बजे एवं अपरान्ह 4.00 बजे ई–मेल के माध्यम से

microbiology@kgmcindia.edu पर उपलब्ध करायेंगे। राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा समस्त सूचनायें संकलित कर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश तथा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पूर्वान्ह 08:00 बजे तथा अपरान्ह 06:00 बजे तक उपलब्ध करायी जायेगी।

2.2 प्रदेश की समस्त टेस्टिंग लैब के अनुश्रवण हेतु के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कोविड–19 की टेस्टिंग लैब के सम्बन्ध में 24X7 कियाशील कन्ट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसमें मैनपावर, डेटाबेस मैनजमेन्ट आदि की आनुषांगिक व्यवस्था कुलपति, के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2.3 यदि कतिपय प्रोब्स, प्राइमर्स अथवा किट्स प्रदेश स्तर पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) अथवा भारत सरकार की अन्य संस्थाओं अथवा स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क के0जी0एम0यू0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाता है, तो विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ अपने स्तर से आवश्यकतानुसार उक्त सामग्री संस्थानों/मेडिकल कालेजों को प्रदान कर सकती हैं।

3. कोविड–19 टेस्टिंग लैब से सम्बन्धित समस्त मेडिकल कालेज/संस्थान का यह दायित्व होगा कि कोविड–19 टेस्टिंग लैब से सम्बन्धित कन्ज्यूमेबल्स/उपकरणों की समुचित व्यवस्था बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करेंगे। 07 दिवसों के कन्ज्यूमेबल्स की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

4. जिन मेडिकल कालेज/संस्थान में नये लैब स्थापित हुये है, वहॉ फेज–1 में एक शिफ्ट में टेस्टिंग का कार्य करेंगे तथा कालांतर में दो शिफ्ट में कार्य किया जाय। उन मेडिकल कालेज/संस्थानों, जहॉ पहले से ही लैब स्थापित है, वहॉ दो शिफ्टों में टेस्टिंग कार्य किया जाय तथा कालांतर में यथासम्भव तीनों शिफ्टों में मैनपावर/उपकरण आदि बढ़ाकर अधिकतम टेस्टिंग का प्रयास किया जाय।

5. मेडिकल कालेज/संस्थान में स्थापित टेस्टिंग लैब के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड–19 से सम्बन्धित टेस्टिंग का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाये।

6. कोविड–19 से संबंधित जॉच हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा समान्यतया प्रोब्स एवं प्राइमर्स उपलब्ध कराया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रत्येक लैब प्रभारी को प्राइवेट सेक्टर की वैलीडेटेड कम्पनी से नियमानुसार आपूर्ति की तैयारी की जानी होगी।

7. गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार एक्सट्रैक्शन किट आदि का कय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–805/71–2–2020–698/2020 टी0सी0 दिनांक–30.03.2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है।

8. यह भी आवश्यक है कि ड्यूटी पर कार्यरत् कार्मिकों की सुरक्षा (Biosafety) सुनिश्चित की जाय। लेबोरेटरी स्टाफ को पी0पी0ई0, एन–95 मास्क आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्टाफ बायोसेफ्टी तथा मोलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रशिक्षित हो, इस हेतु स्टाफ का नियमित प्रशिक्षण कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के सैम्पल जांच हेतु कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–436 (1)/71–3–2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव,, मा0 मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(राम नेवास)
विशेष सचिव।

Go/2018/ Rajneesh